



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर-इरादतन हत्या के अभियोग में अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/-रुपए के अर्थदण्ड की सजी दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु0अ0सं0- 150/2021 धारा-302/34 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामऔतार पुत्र गुलजारी निवासी ग्राम बरगवां, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर को धारा-304(1) भा0द0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



एडीजीसी
सुभाष कुमार श्रीवास्तव



विवेचक-
निरी0 रामआसरे
सरोज



पैरोकार
थाना-जरिया
का0 का0 पंकज कुमार